भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2491

15.12.2025 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय तटीय मिशन और एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना

2491. श्री रॉबर्ट ब्रूस सी.:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने तटीय भेद्यता आकलन के निष्कर्षों का संज्ञान लिया है, जिसमें राष्ट्रीय तटीय मिशन और एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना (आईसीजेडएमपी) के अंतर्गत चिन्हित किए गए तिरुनेलवेली जिले के कुछ हिस्सों में तटरेखा के कटाव और आवास क्षरण का संकेत मिलता है;

(ख) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों के पारिस्थितिकी स्वास्थ्य और जलवायु लचीलेपन का मूल्यांकन करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों के समान कोई केंद्रीय स्तरीय समीक्षा या निगरानी ढांचा शुरू किया है;

(ग) उक्त तटीय क्षेत्र में कटाव की तीव्रता, जैव विविधता के नुकसान और अनुकूलन आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित केन्द्रीय रूप से शुरू किए गए अध्ययनों, मॉडलिंग अभ्यासों अथवा प्रायोगिक परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का आईसीजेडएमपी या उससे जुड़े नेशनल मिशन के तहत तिरुनेलवेली जिले में तटरेखा स्टेबिलाइज़ेशन, टीलों और मैंग्रोव को फिर से बनाने, या इंटीग्रेटेड कोस्टल रेस्टोरेशन के लिए केंद्र से वित्तपोषित परियोजना को मंजूरी देने या बढ़ाने का कोई विचार है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क): भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) ने भारत के पूरे तटरेखा के लिए तटीय संवेदनशीलता सूचकांक (सीवीआई) मानचित्रों का उपयोग करके तटीय संवेदनशीलता का आकलन किया है। इन मानचित्रों को सात विशिष्ट मापदंडों का उपयोग करके 1:100000 के पैमाने पर विकसित किया गया है। तमिलनाडु के तट पर 991.47 किमी की तटरेखा में 42.7% कटाव हो रहा है, 33.6% स्थिर है और 23.8% जमा हो रहा है।

तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु के समुद्र तट को कटाव, प्रदूषण, पर्यावास की हानि और जलवायु परिवर्तन जैसे प्राकृतिक और मानव निर्मित खतरों से बचाने के लिए, सरकारी आदेश संख्या 11, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग (जीओटीएन), दिनांक 10.01.2024 के तहत तमिलनाडु तटीय पुनरुत्थान मिशन (टीएनशोर) की स्थापना की है। यह मिशन तिरुनेलवेली समेत सभी 14 तटीय जिलों में लागू है।

(ख) जल शक्ति मंत्रालय के अधीन केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), तटीय संरक्षण और विकास सलाहकार समिति (सीपीडीएसी) के माध्यम से पारिस्थितिक निगरानी करता है। तमिलनाडु सहित सभी तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि इस समिति में हैं। सीपीडीएसी तटीय कटाव के विषयों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रस्तुत करता है। इसमें तटीय सुरक्षा कार्यों के प्रदर्शन मूल्यांकन हेतु एक उप-समिति भी है, जो तटीय सुरक्षा उपायों की क्षमता का आकलन करने के लिए फील्ड विजिट करती है। इस उप-समिति ने अब तक 8 बैठकें की हैं, जिनमें से 5वीं बैठक तमिलनाडु में हुई थी।

(ग) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) के अधीन राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (एनसीसीआर) ने भारतीय तट के किनारे तटरेखा में बदलाव के राष्ट्रीय आकलन पर एक विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन किया है। यह अध्ययन बहु-स्पेक्ट्रल उपग्रह छवियों के विश्लेषण और साथ ही क्षेत्र में सर्वेक्षण किए गए आंकड़ों पर आधारित है। एनसीसीआर ने 1:25000 पैमाने पर तटीय कटाव के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने के लिए पूरे भारतीय मुख्य भूमि तट के लिए 526 मानचित्र तैयार किए हैं, और यह रिपोर्ट तटरेखा संरक्षण उपायों को लागू करने के लिए विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकारी एजेंसियों के साथ साझा की गई है।

भारत सरकार जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) लागू कर रही है, जो अनुकूलन आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए रणनीतिक ज्ञान के विकास हेतु एक व्यापक ढाँचा प्रदान करती है। तमिलनाडु ने एनएपीसीसी के अनुरूप जलवायु परिवर्तन पर अपनी राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसी) तैयार की है।

राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना, जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (केएमजीबीएफ़) के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप है, राष्ट्रीय परिस्थितियों, प्राथमिकताओं और क्षमताओं के अनुसार बनाई गई है। इसके अतिरिक्त, इसमें स्थलीय और समुद्री क्षेत्रों की रक्षा करना, दूषित पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्जीवित करना, और प्रदूषण नियंत्रण तथा आक्रामक प्रजातियों के प्रबंधन के माध्यम से जैव विविधता के खतरों को कम करना शामिल है।

(घ) 5 जून, 2024 को तटीय पर्यावास और मूर्त आय के लिए 'मैंग्रोव पहल (मिष्टी) शुरू की गई है, जिसका लक्ष्य भारत के समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव के पुनर्जनन/वृक्षारोपण के माध्यम से 'मैंग्रोव वनों का जीर्णोद्धार' करना है। तमिलनाडु सरकार ने मिष्टी योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (काम्पा) से अंतरिम वित्तपोषण के लिए कोई भी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

सरकार ने नदी और समुद्र तट के गंभीर कटाव के असर को कम करने के लिए कई लक्षित कदम उठाए हैं। इस संबंध में मुख्य पहल नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड (एनडीएमएफ़) के तहत "तटीय और नदी कटाव के लिए मूल्यांकन और राशि जारी करने के लिए दिशानिर्देश" जारी करना है, जिसमें 2021-26 की अवधि के दौरान कटाव कम करने की गतिविधियों के लिए 1500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

*****